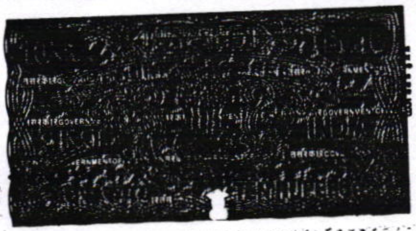

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला जबलपुर R/154-I-17

सुन्दर लाल गौड़ पिता श्री मुनीम सिंह जाति गौंड
निवासी ग्राम घुघरी पोस्ट बड़खेरा,
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर ---- आवेदक

विरूद्ध

1- श्रीमती जानकी बाई पति श्री प्रकाश सिंह राजपूत
निवासी ग्राम गंगई पोस्ट बड़खेरा थाना चरगवां
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ----- अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 411/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 19-12-16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 तहत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

रिविजन के तथ्य

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व की ग्राम सकरी प.ह.नं. 71 रा.नि.मं. चरगवां तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 208/5, 228, 246/1, 246/2 एवं 248 रकबा क्रमशः 0.24, 0.93, 0.21, 1.05 एवं 0.92 हैक्टर कुल रकबा 3.35 हैक्टर भूमि को अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय करना चाहता है, अतः विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाये । उक्त आवेदन जिलाध्यक्ष ने आदेश दिनांक 20-8-14 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन अभिमत सहित भेजने के निर्देश दिए गए । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन नायब तहसीलदार, चरगवां को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा । नायब तहसीलदार ने जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम

R 15-4-I/17 [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-2-18	आवेदक - आवेदक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उप0। अनावेदक क्र. 2 शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी शा0 [illegible]। आवेदक आवेदक के निवेदन पर प्रकरण नोटिस में समाप्त किया जाता है। प्रकरण अभिलेख रिकार्ड हो। [signature] प्र0 [illegible]	